COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***SC ST case No. 08/2020***

Addl. Sessions Judge **I-cum-Special Judge SC/ST, Jamui**

Vibhash Chandra Vs. State of Bihar

02-07-2026

अभियुक्त विभाष चंद्रा की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(s), 3(2)(Va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 17.03.2020 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान एक मात्र अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 संजय कुमार, जो इस काण्ड का सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **उसके साथ अभियुक्त ने कोई गाली–गलौज या मारपीट नही किया है। फर्श पर फिसल कर गिर जाने के कारण उसे चोट लग गयी है। वह मुकदमा नही लड़ना चाहता है।** अतः अभियुक्तो को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। प्राथमिकी वर्ष 2019 की है। इस मामले में मात्र एक अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। **अभियोजन साक्षी संख्या 1 संजय कुमार, जो इस काण्ड का सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसके साथ अभियुक्त ने कोई गाली–गलौज या मारपीट नही किया है। फर्श पर फिसल कर गिर जाने के कारण उसे चोट लग गयी है। वह मुकदमा नही लड़ना चाहता है।** अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विभाष चंद्रा, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इसे तथा इसके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।